भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **716**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

पीएम-प्रणाम योजना

716. श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम-प्रणाम की शुरुआत की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) क्या इस योजना से रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाने में मदद मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस योजना का उद्देश्य उर्वरकों के सतत् एवं संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना तथा देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में रासायनिक उर्वरक की खपत में कमी करके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी उर्वरक सब्सिडी बचाई जानी है; और
(ड.) देश में रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): आर्थिक कार्य संबंधी की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य सतत और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के माध्यम से धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करना है।

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत शामिल किए गए हैं। पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत, पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है, जो बचाई गई उर्वरक सब्सिडी के 50% के बराबर है।

(ङ.): बजट घोषणा, 2023 के अनुसरण में और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिशों पर, सरकार ने गोबरधन पहल, जिसमें हितधारक मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बायोगैस/सीबीजी समर्थन स्कीम/कार्यक्रम जैसे कि एमओपीएनजी का किफायती परिवहन स्कीम के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी), एमएनआरई का 'अपशिष्ट से ऊर्जा' कार्यक्रम, डीडीडब्ल्यूएस का स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), आदि शामिल है, के तहत आर्गेनिक उर्वरकों अर्थात, संयंत्रों में उत्पादित एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम को बढ़ावा देने के लिए 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) के कुल परिव्यय के साथ 1500 रुपये/मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है जिसमें रिसर्च गैप फडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपये की कार्पस निधि शामिल है।

******